आवश्यकीय / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उधमसिंहनगर।

सेवा में,

समस्त निदेशक रजिस्ट्रार / प्रधानाचार्य / प्राचार्य / प्रबन्धक / रजिस्ट्रार,शासकीय एवं अशासकीय शैक्षिणिक संस्थान एवं व्यवसायिक संस्थान / पालिटेक्निक एवं आई.टी.आई. जनपद उधमसिंहनगर ।

पत्रांक– C-4528 / स0क0 / छात्रवृत्ति / 2021–22 दिनांक 01/09/21

विषय– छात्रवृत्ति वितरण हेतु संस्थानों की वर्ष 2021–22 की मान्यता / सम्बद्धता (Affiliation) एवं फीस स्ट्रेक्चर के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 139 / XVII-2/19-1(04)2019, दिनांक 13 मार्च, 2019 के द्वारा निर्देश दिये गये है कि समस्त अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछडी जाति वर्ग हेतु संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति के भुगतान / वितरण से पूर्व सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थानों की उपरोक्तानुसार संगत विनियमन निकाय से मान्यता के अतिरिक्त विधि द्वारा स्थापित संस्थान / परिषद आदि से सम्बद्धता (Affiliation) एवं सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित फीस स्ट्रेक्चर उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही छात्रवृत्ति के भुगतान / वितरण की अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में आपको अवगत कराना है कि संगत विनियमन निकाय से मान्यता के अतिरिक्त विधि द्वारा स्थापित संस्थान / परिषद आदि से सम्बद्धता (Affiliation) फीस स्ट्रेक्चर, कोर्सवार सीटों की संख्या का प्रमाण पत्र पंजीकृत डॉक या कार्यालय की ई–मेल आईडी–usnagardswo@gmail.com पर उपलब्ध का कष्ट करें। यदि छात्र / छात्रा किसी अशासकीय (निजी शिक्षण संस्थान) में अध्ययनरत है तो ध्यान रखें कि सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के पास शासकीय मान्यता प्राप्त फीस स्ट्रेक्चर (शुल्क ढांचा) होने पर ही दर्रानुसार छात्रवृत्ति के साथ ट्यूशन फीस देय होगी ,अन्यथा छात्रवृत्ति के साथ ट्यूशन फीस जो शासकीय कॉलेजों की न्यूनतम दर हो देय होगी।

यह भी संज्ञान में लाना है कि वर्तमान समय में वर्ष 2021–22 के पात्र छात्र / छात्राओं के ऑनलाईन आवेदन करने हेतु आई.टी.सैल, समाज कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या सी–140 दिनांक 19 अगस्त, 2021 के द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2021–22 में समस्त छात्रवृत्ति आवेदनों के नवीन पंजीकरण (Fresh Registration) / नवीनीकरण (Renewal) तथा समस्त ऑनलाईन छात्रवृत्ति (पूर्वदशम एवं दशमोत्तर) ई0बी0सी0 (आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य जाति छात्र / छात्राओं हेतु छात्रवृत्ति योजना) विद्यालयों, शिक्षण संस्थानों द्वारा आवेदनों के सत्यापन के पश्चात सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को अग्रसारित करने हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (https://scholarships.gov.in) को दिनांक 19 अगस्त, 2021 से दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक खोला गया है। उक्त सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्र संख्या 1978–1982 दिनांक 23.08.2021 द्वारा उपरोक्तानुसार सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया हैं। अतः अनुरोध है कि समस्त शिक्षण संस्थान वर्ष 2021–22 की मान्यता एवं सम्बद्धता (Affiliation) / फीस स्ट्रेक्चर दिनांक 30.09.2021 से पूर्व इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, यदि सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों द्वारा उक्त तिथि तक सूचना उपलब्ध नही करायी जाती है तो उसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान / विद्यालय का होगा, कृपया प्रकरण पर व्यक्तिगत ध्यान देने का कष्ट करे।

भवदीय,

(वर्षा)
जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उधमसिंहनगर।

पृष्ठांकन / /तददिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषितः

1– समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि यदि आपके जनपद के छात्र / छात्रायें इस जनपद में अध्ययनरत है तो आप सम्बन्धित संस्थान से सम्बद्धता (Affiliation) / फीस स्ट्रेक्चर / मान्यता,का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2– निदेशक समाज कल्याण उत्तराखण्ड, हल्द्वानी नैनीताल ।
3– निदेशक,जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड,देहरादून ।
4– जिलाधिकारी महोदया, उधमसिंहनगर को सूचनार्थ प्रेषित।

जिला समाज कल्याण अधिकारी,
उधमसिंहनगर।

Scanned by TapScanner